राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1048/2023

विकास कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.03.2023
आदेश की दिनांक : 22.03.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह चाहा है कि आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे तथा उससे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति एवं पदस्थापन की दिनांक से सभी वास्तविक पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें और शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने का निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर माध्यमिक शिक्षा में दिनांक 18.07.2015 को हुई थी और अपीलार्थी ने दिनांक 22.07.2015 को कार्यग्रहण किया। तब से अपीलार्थी निरंतर संतोषजनक सेवाएं दे रहा है। अपीलार्थी को उप प्रधानाचार्य के पद पर रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध पदोन्नत नहीं किया गया जबकि उससे भिन्न कार्मिक को पदोन्नति प्रदान कर दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 की उप प्रधानाचार्य के पद की पदोन्नति हेतु पात्र सूची वर्ष 2022–23 के विरूद्ध जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 6395 और वरिष्ठता क्रमांक 5766 पर अंकित है, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक

जिनकी वरिष्ठता 5769 है, उनको पदोन्नति प्रदान कर दी गई जबकि अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष उपस्थित होकर अपनी समस्या को रखा, परंतु विभाग द्वारा मौखिक रूप से अपीलार्थी को यह बताया गया कि अपीलार्थी की सेवाएं दूसरे विभाग में जाने के कारण अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पलासना में कार्यरत रहा और माध्यमिक शिक्षा विभाग से ही वेतन आहरण भी होता रहा, जो जी.ए. 55 अनुलग्नक–4 से प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलार्थी पूर्ण रूप से उप प्रधानाचार्य के पद पर रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध पदोन्नति पाने का हकदार है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया, जो राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 21.02.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे तथा उससे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति एवं पदस्थापन की दिनांक से सभी वास्तविक पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें और शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने का निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया है कि वर्ष 2022–23 की उप प्राचार्य पद हेतु दिनांक 21.11.2022 को विभागीय वेब पोर्टल पर आपत्तियां आमंत्रण हेतु अस्थाई पात्रता सूची जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता क्रमांक 5766 पर अंकित था। अस्थाई पात्रता सूची में प्राप्त आपत्तियों का समुचित निराकरण के पश्चात् स्थाई पात्रता सूची तैयार की गई। संस्थापन अनुभाग से सेवा समाप्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अन्य विभागों में चयन होने संबंधित प्राप्त सूचना में अपीलार्थी के संबंध में सहवन से "selected in other department" अंकित हो गया था, जिसके कारण अपीलार्थी को स्थाई पात्रता सूची से हटा दिया गया। अपीलार्थी को जानबूझकर चयन से वंचित नहीं किया गया है अपितु अपीलार्थी के संबंध में सहवन से त्रुटिपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण अपीलार्थी का नाम स्थाई पात्रता सूची से हट गया। अतः अपील मय स्थगन आदेश निस्तारित फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर शहीद सीताराम एवं के.एल. तांबी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पलासना, सीकर में कार्यरत है। अनुलग्नक–2 उप प्राचार्य पद की डी.पी.सी. वर्ष 2022–23 की अस्थाई पात्रता सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक 5766 है, जो क्रम संख्या 6395 पर अंकित है। जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक की वरिष्ठता क्रमांक 5769 है, जिसको उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई जबकि अपीलार्थी उससे वरिष्ठ होने के बावजूद उसे उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई जो अनुचित व नियम विरूद्ध है। जहां तक अपीलार्थी के अन्य दूसरे विभाग में चयन होने के कारण पदोन्नति प्रदान न किए जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–4 जी.ए. 55 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी व्याख्याता के पद पर ही कार्यरत था और उसके विभाग द्वारा हर माह वेतन भी दिया गया। इससे हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी का किसी अन्य दूसरे विभाग में चयन होने से अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भी सहवन से हुई त्रुटि को माना है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी से कनिष्ठ जिसकी वरिष्ठता अपीलार्थी से नीचे है, उसकी पदोन्नति की दिनांक से अपीलार्थी की उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित कर जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति लाभ दिए गए हैं। उसी तिथि से अपीलार्थी को भी समस्त वास्तविक पदोन्नति एवं पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य